न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 571/2022 निर्णय दिनांक :– 10/6/24

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. अरजनी पत्नी स्व0 छगनलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कमला पुत्री गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. कैलाशी पुत्र गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. काली पुत्री छगनलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गंगासागर पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. गोपाल पुत्र कूरिया जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. पुष्पा देवी पत्नी स्व0 लोडक्या जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. राजाराम पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. राजी पुत्री छगनलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. रामनारायण पुत्र गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. लालाराम पुत्र छगनलाल जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. सियाराम पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. सीता पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. सीताराम पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. मिश्री देवी पत्नी जन्सीलाल जाति मीणा निवासी बाजोली(बडोली) तहसील दूनी जिला टोंक राज0

3. जन्सी पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी बाजोली(बडोली) तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :— श्री रमेशचन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 13 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बाजोली पटवार हल्का बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के सहखातेदार हजारी पत्नी स्व0 छगनलाल मीणा करीब 20 साल से लापता है जिसका कोई अता पता नही है। हजारी पत्नी स्व0 छगनलाल मीणा के वारिसान का नाम पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस कारण हजारी पत्नी स्व0 छगनलाल मीणा को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के मध्य उक्त भूमि व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नही करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण संख्या 1 तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है :— उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में

दर्ज है। है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो सीमा विवाद है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में खाता संख्या 55 खसरा नम्बर 13 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम बाजोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली